रजिस्ट्री सं॰ डी एल(एन)-04/0007/2003-05

REGD. NO. D L(N)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, नवम्बर 30—दिसम्बर 6, 2003, शनिवार/अग्रहायण 9—अग्रहायण 15, 1925

No. 26] NEW DELHI, NOVEMBER 30—DECEMBER 6, 2003, SATURDAY/AGRAHAYANA 9—AGRAHAYANA 15, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2003

का.नि.आ. 179.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा, नियम, 1979 की अनुसूची 3 में वैज्ञानिक "ख" से वैज्ञानिक "छ" तक के पदों से संबंधित क्रम सं. 1 से 6 तक के सामने "ऐसे पदों के लिए जिनमें चिकित्सा संबंधी अर्हताओं की अपेक्षा हो" शीर्षक के अधीन स्तंभ 4 (i) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"आवश्यक

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता उक्त तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित चिकित्सीय अर्हता धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए।

या

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग 1, भाग 2 या भाग 3 में कोई दंत अर्हता"।

[सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/सी/पी/02]

रोजी शर्मा, उप सचिव

पाद टिप्पण :— रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग II खंड 4 में का.नि.आ. 8 तारीख 30 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् का.नि.आ. 307 तारीख 10 अक्तूबर, 1980, का.नि.आ. 196 तारीख 02 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159 तारीख 05 मई, 1983, का.नि.आ. 176 तारीख 07 अगस्त, 1984, का.नि.आ. 228 तारीख 13 नवम्बर, 1984, का.नि.आ. 170 तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186 तारीख 02 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228 तारीख 06 जून, 1986, का.नि.आ. 158 तारीख 04 मई, 1987, का.नि.आ. 328 तारीख 25 सितम्बर, 1987, का.नि.आ. 11-ई तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1 तारीख 04 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33 तारीख 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 74 तारीख 05 मार्च, 1991, का.नि.आ. 146 तारीख 04 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74 तारीख 24 मार्च, 1992, का.नि.आ. 125 तारीख 29 मई, 1992, का.नि.आ. 157 तारीख 26 अगस्त, 1994, का.नि.आ. 34 तारीख 08 मार्च, 1996, का.नि.आ. 33 तारीख 02 फरवरी, 1998, का.नि.आ. 100 तारीख 30 जुलाई, 1998, का.नि.आ. 119 तारीख 09 जुलाई, 1999 और का.नि.आ. 51 तारीख 27 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 13th November, 2003

S.R.O. 179.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Second Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979, in Schedule III, against serial Nos. 1 to 6 relating to the posts Scientist 'B' to Scientist 'G', for the existing entries in column 4(i) under the heading "For posts requiring medical qualifications", the following shall be substituted, namely :—

"Essential :

(i) A medical qualification included in the First Schedule or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Medical qualifications included in Part II of the said Third Schedule should also fulfil the conditions specified in Sub-section (3) of Section 13 of the said Act.

OR

A dental qualification included in the Part I, Part II or Part III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948)".

[No. DHRD/76205/DRDS/C/P/02]

ROSY SHARMA, Dy. Secy.

Foot Note :— The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part II, Section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December, 1978 and subsequently amended vide S.R.O. 307 dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May, 1983; S.R.O. 176 dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186 dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158 dated the 4th May,

Attested

21/07

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Delhi-54

1987, S.R.O. 328 dated the 25th September, 1987, S.R.O. 11-E dated the 10th August, 1990, S.R.O. 1 dated the 4th January, 1991, S.R.O. 33 dated the 17th January, 1991, S.R.O. 74 dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146 dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74 dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125 dated the 29th May, 1992, S.R.O. 157 dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34 dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33 dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100 dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119 dated the 9th July, 1999 and S.R.O. 51 dated the 27th March, 2003.

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2003

का.नि.आ. 180 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' और समूह 'घ' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती नियम, 1976 को अधिक्रांत करते हुए, सेना आर्डनेंस कोर में अग्नि शमन अधीक्षक, अग्नि शमन मास्टर लीडिंग हैंड फायर 'ख', लीडिंग हैंड फायर 'क' अग्निशमन इंजन चालक 'क' और अग्निशमन इंजन चालक 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना आर्डनेंस कोर (समूह 'ग' और समूह 'घ' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता :**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति :**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. 1. पद का नाम : अग्निशमन अधीक्षक

2. पदों की संख्या : 37* (2003)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

Attested.

[signature]

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54